सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2013 - 14

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन : 2013–14

500 प्रतियां

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2013 – 14

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्राक्कथन	01
2	सूचना अधिकार आंकड़ों में	03
3	**अध्याय : 1** सूचना का अधिकार अधिनियम	07
4	**अध्याय : 2** उत्तराखण्ड सूचना आयोग	13
5	**अध्याय : 3** आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	57
6	**अध्याय : 4** सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	67
7	**अध्याय : 5** लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	81
8	**अध्याय : 6** आयोग के अंगीकृत संकल्प	95
9	**अध्याय : 7** आयोग की संस्तुतियां	109
10	**अध्याय : 8** आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश	115
11	**अध्याय : 9** आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां तथा अंकित आदेशों का सार	127
12	**अध्याय : 10** आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें	149
13	**अध्याय : 11** वर्ष 2013 - 14 में आयोग को प्राप्त बजट	173

सूचना का
अधिकार

प्राक्कथन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 66 वर्ष के उपरान्त भी हमारे देश के नागरिकों के समक्ष अनेक प्रकार की भौगोलिक, पारिस्थितिक, आर्थिक व सामाजिक कठिनाईयां, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बनी रहती हैं. यही कारण है कि इस देश के अधिकांश नागरिक अपनी दैनिक समस्याओं के निराकरण हेतु संघर्षरत रहते हैं.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 58 वर्ष के लम्बे समय के उपरान्त सूचना का अधिकार एक ऐसे साधन के रूप में जनसामान्य को प्राप्त हुआ है जिसके प्रयोग को वे अपनी अनेकों कठिनाईयों/समस्याओं के निराकरण हेतु उपयोगी पाते है. सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के नौ वर्षों की इस अवधि में सम्पूर्ण भारतवर्ष में नागरिकों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का उपयोग कर सहस्त्रों विषयों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहत प्राप्त की गयी है, तथा इस अवधि में सूचना का अधिकार के व्यावहारिक पहलू ने एक लम्बी दूरी तय कर ली है.

अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में दायर की गयी शिकायतों और अपीलों की निरन्तर बढती संख्या ने इस राज्य के निवासियों की बहुआयामी अपेक्षाओं को जागृत करने का सफल प्रयास किया है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सूचना का अधिकार बहुत शीघ्रता से उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न प्रशासनिक एवं सामाजिक स्वरूपों की एक परिभाषित विशेषता बन चुका है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है.

इस वार्षिक प्रतिवेदन से पूर्व उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रथम (वर्ष 2005–06), द्वितीय (वर्ष 2006–07), तृतीय (वर्ष 2007–08), चतुर्थ (वर्ष 2008–09), पंचम (वर्ष 2009–10), षष्टम् (वर्ष 2010–11), सप्तम् (वर्ष 2011–12) तथा अष्ठम् (वर्ष 2012–13) के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं. राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है. इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार किये जाने तक आयोग के वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 के वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाना अवशेष है.

पूर्व की भांति इस वार्षिक प्रतिवेदन में भी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) एवं धारा 25(3) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों को दिये गये दायित्वों के अनुरूप उनसे प्राप्त आंकड़ों और वर्ष 2013–14 में अधिनियम के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति के विश्लेषण को समाविष्ट किया गया है. इनमे मुख्य रूप से लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र; प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें; आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि; धारा 19(3) के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण; तथा आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से सम्बन्धित विवरण सम्मिलित हैं. इसके अतिरिक्त आयोग को वर्ष 2013–14 में प्राप्त बजट का विवरण भी इस प्रतिवेदन में दिया गया है. आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत तैयार स्वप्रकटीकरण के मैनुअल को भी इस वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है.

वर्ष 2013–14 में प्रदेश में कुल 1,14,790 सूचना अनुरोध पत्र विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुये, जिसके सापेक्ष कुल 1,05,511 अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया गया. इस अवधि में विभिन्न प्रथम अपीलीय अधिकारियों को कुल 11,107 प्रथम अपीलें भी प्राप्त हुयीं, जिसके सापेक्ष कुल 10,029 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया.

इस अवधि में आयोग द्वारा कुल 4,330 द्वितीय अपीलों तथा 1,136 शिकायतों पर सुनवाई की गयी जिसमें से क्रमशः 3,312 अपीलों तथा 1,103 शिकायतों का आयोग स्तर से निस्तारण किया गया.

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा किये जाने पर आयोग का यह मत है कि लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 4 में वर्णित स्वःप्रकटन के प्राविधानों को पूर्ण करने की दिशा में अभी और व्यापक प्रयास किये जाने आवश्यक हैं. लोक प्राधिकारियों को नागरिकों के उपयोग हेतु स्वेच्छापूर्वक सूचनाओं को लोक प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जाना

सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना की आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है. कमप्यूटरीकरण के इस युग में वह दिन दूर नहीं है जब नागरिक स्वयं ही लोक प्राधिकारियों की कार्य शैली में अपने अनुरोधों की वस्तुस्थिति का स्वयं ही पता लगा सकेंगे. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 में लोक प्राधिकारियों से इसी प्रकार के स्वःप्रकटन तथा अभिलेख प्रबन्धन की अपेक्षा की गयी है, अतः राज्य सरकार द्वारा लोक प्राधिकारियों के स्तर पर इस सम्बन्ध में अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जाने चाहिऐं. *इस दिशा में वर्ष 2013 में दैवी आपदा राहत एवं पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों की जानकारियों को जन सामान्य के सूचनार्थ वैबसाईट में अपलोड कर स्वतः प्रकट करना शासन का एक सफल प्रयास रहा है.*

मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन में आयोग द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु जो संस्तुतियां की गयी हैं, उन पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी.

भारतीय संसद द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये सूचना का अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करना भी उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है, तथा इसके पूर्ण–रूपेण पालन के लिए सूचना आयोग का सशक्त होना अत्यन्त आवश्यक है. सूचना आयोग की इस भूमिका को निभाने के लिए आयोग के सभी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य एवं निरन्तर अथक प्रयास किये जा रहे हैं.

माह जुलाई 2013 से उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने रिंग रोड, देहरादून स्थित सूचना का अधिकार भवन से कार्य करना प्रारम्भ किया गया है.

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ.

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना अधिकार आंकड़ों में
वर्ष 2013 – 14

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या	1,14,790*
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या	1,05,511*
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या	11,107*
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या	10,029*

5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	राजस्व	गृह	विद्यालयी शिक्षा	वन	शहरी विकास
	23622	13948	9299	9183	6222

4	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील	
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	4330	3312

5	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत	
	कुल शिकायतों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	1136	1103

6	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की संख्या	115 शास्ति 04 क्षतिपूर्ति
7	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)	14,39,750
8	आरोपित क्षति पूर्तियों की धनराशि (रु.)	16,000
9	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या	3

*(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार अधिनियम

1. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है. इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है.

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन 55 राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहां सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है. ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं. भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहां ऐसा अधिनियम बनाया गया है.

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया. महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन अर्थात 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है.

"लोक प्राधिकारी" की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त–पोषित हैं.

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है. **नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है.** इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार से लैस करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे.

अब तक की अपने 9 वर्षों की इस यात्रा में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच में अवस्थित अधिकार समीकरण में संतुलन स्थापित करने की एक उत्तम व्यवस्था के रूप में भी देखा जा रहा है.

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

''प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम''.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अर्न्तगत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है. यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है.
- भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है.
- किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है.
- सूचना प्राप्त करने हेतु दस रूपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑडर/नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है. गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है.
- अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है, इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए

पांच रूपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा.

- अभिलेख की ए–3 या ए–4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रूपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी. सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है.
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है.
- वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है.
- निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है.
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना होता है.
- विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है.
- यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग को शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है.

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है.

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

(i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,

(ii) शासन के समस्त निदेशालयों,

(iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,

(iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,

(v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,

(vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,

(vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,

(viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,

(ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,

(x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा

(xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05).

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं.

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें. लोक प्राधिकारियों के प्रख्यापित करने में विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक

होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हांकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है.

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा. यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग–अलग नामित किये जाने हैं. लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो.

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा.

ऐसी गैर सरकारी संस्थाऐं, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे.

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो.

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा.

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके लिए निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके.

अधिनियम की महत्वपूर्ण धारायें

धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके. प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं.

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनैट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है.

धारा 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है. इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है.

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तिरित करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा.

धारा 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो आवेदन प्राप्त होने के 07 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस

दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी. जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिया जाना प्राविधानित है.

धारा 8

अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रकट किये जाने से छूट दी गयी है –

(i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

(ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,

(iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,

(iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,

(v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,

(vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,

(vii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पडेगी,

(viii) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं है या जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो.

उपरोक्त में से (iv), (v) एवं (viii) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा.

मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे.

धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो.

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं.

धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है. प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए.

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है. इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं. द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में जमा कराना होता है.

उत्तराखण्ड
सूचना आयोग

2. उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी. इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था.

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17/10/10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933/ XXX(13)G/ 2009 – 52 (5)207). दिनांक 19/10/10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934/XXX(13)G/2009–52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935/XXX(13)G/ 2009–52(5)207).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/13 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा. /2013).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/14 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा./2013).

इस प्रकार वर्ष 2013–14 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन. एस. नपलच्याल एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल, श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री प्रभात डबराल, श्री राजेन्द्र कोटियाल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गयी.

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्य मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.
- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो. इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये. उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नही होना चाहिये. इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये.
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी.
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं.
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगें तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगें. इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा. इनके सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है.

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये.

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चिय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है. प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी. द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों.
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है.
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना.
- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना.
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना.
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना.
- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों मे से कोई शास्ति अधिरोपित करना

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा.

शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी. परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा. अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है.

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं. इनमें मुख्यत :

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है.
- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा.
- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं.
- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा.

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट /प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं. अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है.

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के स्वः प्रकटीकरण के प्राविधान के अन्तर्गत तैयार उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मैनुअल

सूचना का
अधिकार

2013 – 14

मैनुअल संख्या : 1 [(धारा 4(1)(ख)(i)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

1. उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन, उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डॉ. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252 XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा की गयी.

3. इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया.

   आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. आर. एस. टोलिया अपने कार्यकाल के पॉच वर्षों को पूर्ण कर दिनांक 17/10/10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया. दिनांक 19/10/10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी.

   राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/13 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा./2013).

   राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/14 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा./2013).

4. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रस्तर 15 अध्याय 4 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 204/XXII/2005 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के द्वारा स्थाई पदों का सृजन किया गया. जिन्हें शासनादेश सं. 13/xxxi(13)/2005 दिनांक 18 जनवरी 2010 के द्वारा स्थाई किया गया. इसके अतिरिक्त शासनादेश सं. 694 दि. 25.02.10, शासनादेश सं. 280 दि. 01.03.2011 तथा शासनादेश सं. 2016 दि. 28.06.2013 के द्वारा सृजित अस्थाई पदों के अनुसार आयोग हेतु कुल स्वीकृत पदों की स्थिति आगे दी गई है। उपरोक्त पदों के सापेक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय विभागों तथा उपनल, देहरादून के माध्यम से की गई है.

5. उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश संख्या 307/XXII/2005–1 (20) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया गया जिसका कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में स्थित है.

कृत्य और कर्तव्य :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत जन सामान्य सूचना के अनुरोध पर प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करना.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत आयोग में लोक प्राधिकारी स्तर से नियुक्त अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय पर द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं आदेश देना.

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत किसी शिकायत अथवा अपील का विनिश्चय करते समय लोक प्राधिकारियों के विरूद्ध दण्ड आरोपित करना एवं उनके विरूद्ध यथा स्थिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना.

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) के

अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना उसे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना.

5. लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (5) के निहित शक्तियों के अधीन, अधिनियम की भावना के अनुकूल कार्य करने की अपेक्षा करना एवं उन्हें इस संबंध में विनिर्दिष्ट करना.

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सचिव	01 पद	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ प्रान्तीय सेवा के अधिकारी
2.	उप सचिव	01 पद	15600–39100
3.	अनुसचिव	01 पद	15600–39100
4.	सहायक लेखाधिकारी	01 पद	15600–39100
5.	अनुभाग अधिकारी	01 पद	9300–34800
6.	विधि अधिकारी	01 पद	आउट सोर्सिंग
7.	जन सम्पर्क अधिकारी	01 पद	9300–34800
8.	लेखाकार	01 पद	9300–34800
9.	समीक्षा अधिकारी	02 पद	9300–34800
10.	सहायक समीक्षा अधिकारी	04 पद	5200–20200
11.	सहायक लेखाकार	01 पद	5200–20200
12.	निजी सचिव	04 पद	9300–34800
13.	वैयक्तिक सहायक	02 पद	9300–34800
14.	आशुलिपिक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	07 पद	5200–20200 (04 पद उपनल द्वारा)
15.	रिकॉर्ड कीपर	01 पद	5200–20200
16.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01 पद	उपनल द्वारा
17.	कम्प्यूटर आपरेटर	05 पद	उपनल द्वारा
18.	चालक	07 पद	उपनल द्वारा
19.	अनुसेवक	12 पद	उपनल द्वारा
20.	सुरक्षा गार्ड	04 पद	उपनल द्वारा

मैनुअल संख्या : 2 [(धारा 4(1)(ख)(ii)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यो का सामान्य प्रशासन एवं नियंत्रण. उत्तराखण्ड सूचना आयोग में स्वीकृत श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति का पूर्ण अधिकार. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना में प्राप्त होने वाली अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना. (अधिनियम की धारा 18 एवं 19) सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराना तथा उसे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना. (धारा 25)
2	राज्य सूचना आयुक्त	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना. (अधिनियम की धारा 18 एवं 19)
3.	सचिव	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण. मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कराना. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा जारी किये गये निदेर्शो को राज्य के लोक प्राधिकारियों को जारी करना. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये समय –समय पर राज्य सरकार से पत्राचार तथा विचार विमर्श करना. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आयोग को प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों पर लिये गये निर्णयों को रजिस्ट्रार के रूप में वादी तथा प्रतिवादी को निर्गत करना. लोक प्राधिकारियों के साथ अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठकें आयोजित करना.
4	उप सचिव	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये राज्य सरकार से प्राप्त बजट की धनराशि का आहरण–वितरण करना. उत्तराखण्ड सूचना आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कराना.

		सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आयोग के विभागीय अपीलीय अधिकारी का कार्य करना. आयोग में प्राप्त होने वाले पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन एवं सुझाव देना. मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्तों तथा सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन कराना. राज्य के लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जांच करने के उपरान्त आयोग स्तर से अनुमोदित कराने की कार्यवाही करना.
5	विधि अधिकारी	आयोग को प्राप्त होने वाली अपील एवं शिकायतों की जॉच करना. अपीलों एवं शिकायतों को जॉच के उपरान्त तैयार कर मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत करना. विधि विषयक कार्यो का सम्पादन. अन्य कार्य।
6	निजी सचिव	मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के निजी सचिव के कार्य
7	जन सम्पर्क अधिकारी	मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये समस्त कार्य. आयोग की वैबसाईट तथा एम.आई.एस. डाटा को अद्यावधिक रखना आयोग के डाटा सर्वर का व्यवस्थित करना मोबाईल वीडियों कॉन्फैंसिंग सत्रों से संबंधित कार्य पूर्ण करना आयोग के प्रकाशनों पर स्वीकृति एवं अन्य कार्यवाही. विभिन्न मासिक प्रगति विवरण तैयार करना
8	समीक्षा अधिकारी	द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की वाद सूची तैयार करना. द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की मिसिलबंद पंजिका एवं न्यायालय पंजिकाओं को अधुनान्त करना. लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअलों की समीक्षा समस्त वैयक्तिक पत्रावलियों, सर्विस बुकों का रख–रखाव एवं सचिव के निर्देशन में कार्य करना. विभिन्न अपीलों/शिकायतों में अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुश्रवण करना. मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त/ सचिव/उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य. शिकायत/अपील से संबंधित पत्रावलियों का रख–रखाव अधिष्ठान संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण.
9	सहायक समीक्षा अधिकारी	द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के नोटिस तैयार करना.

		लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअलों की समीक्षा में समीक्षा अधिकारी का सहयोग करना.
10	आशुलिपिक / सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई पर श्रुतलेख लेना तथा उनका प्रेषण सुनिश्चित करना सचिव / उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य.
11	सहायक लेखाकार / लेखाकार	बिलों को तैयार कर कोषागार से भुगतान की कार्यवाही आयोग में लेखा संबंधी समस्त कार्य. बजट सम्बन्धी कार्य का पर्यवेक्षण. आयकर पत्रावली का रख–रखाव. आयोग के लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों / दायित्वों का पालन
12	कम्प्यूटर आपरेटर	कम्प्यूटर टंकण / डाक प्राप्ति / डाक प्रेषण सम्बन्धी कार्य
13	चालक	वाहन चलाना तथा वाहन का रख –रखाव
14	अनुसेवक	कार्यालय में अधिकारी / कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करना.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 3 [धारा 4(1)(ख)(iii)]

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है.

1. वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग छः सदस्यीय आयोग है अतः समस्त प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों का निस्तारण आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं पाँच राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 15424 दिनांक 13/12/12 आदेश संख्या 6117 दिनांक 17/05/13, आदेश संख्या 14742 दिनांक 17/12/13, तथा आदेश संख्या 818 दिनांक 17/01/14 के द्वारा किये गये विभागवार कार्य विभाजन के अन्तर्गत किया जाता है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों पर सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजने का कार्य उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सचिव द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किया जाता है.

2. सर्वप्रथम नोटिस के द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत/अपील की प्रति भेजते हुये 2/3 सप्ताह के भीतर शिकायत तथा अपील पर उनकी आख्या प्राप्त की जाती है तथा इसी अवधि में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि वे अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को अपने स्तर से सूचना दे सकते हैं तो सूचना उनको उपलब्ध कराते हुये आयोग को भी अवगत करायें.

3. अपीलों/शिकायतों की सुनवाई हेतु यह बाध्यता नहीं रखी गई है कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी आयोग में सुनवाई के लिये स्वयं उपस्थित हों. आयोग में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी स्तर से आख्या प्राप्त की जाती है. उससे सन्तुष्ट न होने पर शिकायत/अपील की सुनवाई हेतु अग्रेतर तिथियां आवश्यकता अनुसार निश्चित की जाती हैं. आयोग द्वारा शिकायतों एवं अपील में पारित अन्तरिम एवं अंतिम आदेशों की प्रतियां सम्बन्धित पक्षों को प्रेषित की जाती है.

4. यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) में नोटिस जारी होने के पश्चात शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान लोक सूचना अधिकारी स्तर से नहीं कर दिया जाता है तो उक्त शिकायत की अग्रिम जांच हेतु अधिनियम की धारा 18(2) में पुनः सम्बन्धित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया जाता है तथा शिकायत पर अधिनियम में दी गयी 18(2) की प्रक्रियाओं के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है.

5. अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया में उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 305/XXII/2005–9(33)2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रख्यापित नियमावली–'राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005', के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाती है.

क्र. सं.	आयोग के कार्यों का विवरण	आयोग स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया	प्रक्रिया हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1.	धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत	स्तर 1. सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से 2/3 सप्ताह के भीतर शिकायत पर आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. प्राप्त आख्या का विश्लेषण एवं अग्रेतर कार्यवाही. स्तर 3. आख्या संतोषजनक न होने पर धारा 18 (2) में अग्रेतर जांच. स्तर 4. जांच में साक्ष्य का विश्लेषण एवं अन्तिम आदेश पारित करना.	स्तर 1. सचिव सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. सचिव द्वारा धारा 18(2) का नोटिस सम्बन्धित पक्षों को निर्गत कराना. स्तर 3. आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियों को सचिव/उप सचिव द्वारा संबंधित को भेजना.
2.	धारा 19(3) के अन्तर्गत अपील	स्तर 1. सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर 2/3 सप्ताह के अन्दर उनसे आख्या प्राप्त करना. स्तर 2. लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के साथ प्रारम्भिक सुनवाई. यदि आवश्यक हुआ तो अंतरिम आदेश पारित करना. स्तर 3. प्राप्त साक्ष्य एवं अभिलेखों के निरीक्षण उपरांत अंतिम आदेश पारित करना.	स्तर 1. सचिव, सूचना आयोग द्वारा नोटिस भेजना. स्तर 2. आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को सम्बन्धित पक्ष को सचिव द्वारा निर्गत करना. स्तर 3. आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियों को सचिव/उप सचिव द्वारा संबंधित को भेजना .
3.	धारा 25(3) के अन्तर्गत वार्षिक प्रगति तैयार करना	स्तर 1. शासन/निदेशालय स्तर के लोक प्राधिकारियों से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना. स्तर 2. उक्त प्राप्त मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.	स्तर 1. सचिव द्वारा ऐसे लोक प्राधिकारियों को चिन्हित करना, जिनसे मासिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ एवं उन्हें अनुस्मारक प्रेषित करना. स्तर 2. सचिव द्वारा नोडल विभाग के माध्यम से राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु उपलब्ध कराना.
4.	आयोग का सामान्य प्रशासन		सचिव, उप सचिव द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 13571 / उ.सू.आ. / 2010 दिनांक 23 / 12 / 11 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के विभिन्न सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किया जाता है :

1. **श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

उच्च शिक्षा	विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्कृत शिक्षा	संस्कृति	खेलकूद
युवा कल्याण	धर्मस्व	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	आयुष	चिकित्सा शिक्षा
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	समाज कल्याण	सैनिक कल्याण
अल्प संख्यक कल्याण	विकलांग कल्याण	पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	श्रम एवं सेवायोजन	

श्री विनोद नौटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

2. **श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

लोक निर्माण	पर्यटन	उद्योग
सूचना प्रोद्यौगिकी	आवास	नगर विकास
नागरिक उड्डयन	ऊर्जा	सिंचाई
अपारम्परिक ऊर्जा	परिवहन	चीनी उद्योग
बायो टैकनोलाजी	पेयजल	

श्री अनिल कुमार शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

3. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

गृह एवं कारागार	सतर्कता	राजस्व
आपदा प्रबंधन	वित्त	सचिवालय प्रशासन
सामान्य प्रशासन	अभियोजन	प्रोटोकॉल
राज्य संपत्ति	राज्य पुनर्गठन	नियोजन
सूचना	न्याय	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
उच्च न्यायालय	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	

श्री प्रभात डबराल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

4. मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा उपरोक्त को छोड़कर अन्य समस्त विभागों (वन एवं पर्यावरण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंध, कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, सहकारिता, गन्ना विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेशम) तथा श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, विधान सभा, मुख्य सचिव कार्यालय आदि के संबंध में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था 01 जनवरी, 2013 से लागू होगी.

ह0

एन. एस. नपलच्याल

मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 15424 / उ.सू.आ. / 2012 दिनांक : 13 / 12 / 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
5. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
6. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
7. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
8. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 15424 दिनांक 13 / 12 / 12 में आंशिक संशोधन करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेन्द्र कोटियाल को निम्नवत् कार्य आवंटित किया जाता है :

1. **श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त** सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण निम्नलिखित विभागों के संबंध में करेंगे :

समाज कल्याण	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	अल्प संख्यक कल्याण
विकलांग कल्याण	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	पिछड़ा वर्ग कल्याण
सैनिक कल्याण	श्रम एवं सेवायोजन	राज्य पुनर्गठन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति		

श्री राजेन्द्र कोटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

2. **श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त** तथा श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा उन्हें पूर्व में आवंटित विभागों में से उपरोक्त विभागों को छोड़ कर शेष विभागों से संबंधित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण पूर्ववत किया जायेगा.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 6117 / उ.सू.आ. / 2013–14 दिनांक : 17 / 05 / 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
5. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
7. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.

8. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 15424/उ.सू.आ./2012 दिनांक 13/12/12 तथा कार्यालय आदेश संख्या 6117/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 17/05/13 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के विभिन्न सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किया जाता है :

1. **श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

लोक निर्माण	पर्यटन	उद्योग
सूचना प्रोद्यौगिकी	आवास	नगर विकास
नागरिक उड्डयन	ऊर्जा	सिंचाई
अपारम्परिक ऊर्जा	परिवहन	चीनी उद्योग
बायो टैकनोलाजी	पेयजल	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

श्री विनोद नौटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

2. **श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

गृह एवं कारागार	सतर्कता	राजस्व
आपदा प्रबंधन	वित्त	सचिवालय प्रशासन
सामान्य प्रशासन	अभियोजन	प्रोटोकॉल
राज्य संपत्ति	राज्य पुनर्गठन	नियोजन
सूचना	न्याय	उच्च न्यायालय
विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	आबकारी	

श्री अनिल कुमार शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

3. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त** निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

वन एवं पर्यावरण	ग्राम्य विकास	पंचायती राज
ग्रामीण अभियंत्रण	लघु सिंचाई	जलागम प्रबंध
कृषि	कृषि विपणन	कृषि शिक्षा
सहकारिता	गन्ना विकास	मत्स्य पालन
पशुपालन	दुग्ध विकास	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
रेशम		

श्री प्रभात डबराल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

4. श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

उच्च शिक्षा	विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्कृत शिक्षा	संस्कृति	खेलकूद
युवा कल्याण	धर्मस्व	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री राजेन्द्र कोटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं,परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

5. मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा उपरोक्त को छोड़कर अन्य समस्त विभागों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, श्रम एवं सेवायोजन) तथा श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, विधान सभा, मुख्य सचिव कार्यालय आदि के संबंध में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था 01 जनवरी, 2014 से लागू होगी.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 14742 / उ.सू.आ. / 2013–14 दिनांक : 17 / 12 / 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
5. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
7. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
8. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
9. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग

10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 14742 / उ.सू.आ. / 2013–14 दिनांक 17 / 12 / 13 के क्रम में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के सम्यक सम्पादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को निम्नवत् कार्य आवंटन किया जाता है :

पेयजल	गन्ना विकास	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
सामान्य प्रशासन	सचिवालय प्रशासन	राज्य पुनर्गठन
नियोजन	श्रम एवं सेवायोजन	

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त उपरोक्त विभागों तथा उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त; श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त; श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में आवंटित विभागों में से उपरोक्त विभागों को छोड़ कर शेष विभागों से सम्बन्धित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण पूर्ववत् किया जायेगा.

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

(**एन. एस. नपलच्याल**)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 818 / उ.सू.आ. / 2013–14 दिनांक : 17 / 01 / 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
5. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
6. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
7. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.

8. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
9. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

मैनुअल संख्या : 4 [धारा 4(1)(ख)(iv)]

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

1. यद्यपि आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा कोई मापमान निश्चित नहीं किये गये है, परन्तु आयोग के प्रशासनिक एवं अन्य कार्यो को तीव्र गति से सम्पादित करने हेतु समय–समय पर बैठकें आयोजित कर दिशा निर्देश दिये जाते है.

2. आयोग अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को संकल्पों के माध्यम से क्रियान्वित करता है.

3. वर्तमान में छः सदस्यीय आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई सप्ताह में प्रति सोमवार, से शुक्रवार तक की तिथियों में की जा रही हैं तथा सुनवायी हेतु जो शिकायतों एवं अपीलों पर तिथियां दी जाती हैं, उनकी सूची सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाती है.

4. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई की तिथिवार सूचना (cause list) आयोग की वेबसाईट http://uic.gov.in में भी अपलोड तथा निरंतर अद्यावधिक की जाती है जिसे आयोग की वेबसाईट में कभी भी देखा जा सकता है अथवा उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.

मैनुअल संख्या : 5 [धारा 4(1)(ख)(V)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जा रहे है नियम, विनियम, निर्देशिका का ब्यौराः

क्रम संख्या	शासनादेश / संख्या आदेश	संक्षिप्त विवरण
1.	भारत का राजपत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2004 / 21	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
2.	266 / xxii / 2005–9 (31) 2005 दिनांक 13 अक्टूबर, 2005	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अर्न्तगत फीस एवं विनियम, 2005
3.	165 / XXXII (13)G-2 (2) / 2006 / दिनांक 31 मार्च, 2006	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)
4.	1 / XXII(7) / 2005 –9	आवेदन शुल्क हेतु प्रपत्र 385 का निर्धारण
5.	305 / XXII / 2005–9 (33)2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005	राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005
6.	146 / सू0 / XXVI (13)G- / 2006 दिनांक 22 मार्च 2006	सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश
7.	सं0 2150 / उ.सू.आ. / दिनाक 24.08.2006.	जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुँच
8.	65 / उ.सू.आ. / मु.सु.आ. / 2005 दिनांक 06.12.2005	अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत स्वतः प्रकटीकरण
9.	12952 / 2014–15 दिनांक 31.10.2014	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अभिलेखों का सृजन, अनुरक्षण, नकल एवं 18 विनिर्दान (वीडिंग) आदेश–2014

मैनुअल संख्या : 6 [धारा 4(1)(ख)(vi)]

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण.

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज अभिलेख
1.	शिकायत (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) तथा 18(2) के अधीन).	1. मिसिलबन्द पंजिका. 2. केस डायरी 18(1). 3. केस डायरी 18(2). 4. शिकायतों की पृथक–पृथक पत्रावलियां.
2.	अपील (सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन).	1. मिसिलबन्द पंजिका 2. केस डायरी 19(3). 3. अपीलों की पृथक–पृथक पत्रालियां.
3.	लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.	1. अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. 2. विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. 3. अनुरोधों के अग्रसारण की पत्रावली.
4.	प्रशासनिक	1. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली. 2. सचिव द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली 3. नोडल विभाग से पत्र व्यवहार पत्रावली. 4. आयोग की विभागीय बैंठकों के कार्यवृत्त की पंजिका. 5. शासन के प्रत्येक विभाग से पत्र व्यवहार सम्बंधी पृथक–पृथक पत्रावली.
5.	स्थापना	1. आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां. 2. आयोग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका. 3. स्थापना सम्बन्धी पत्रावलियां.
6.	लेखा	1. कैश बुक. 2. कोषागर चैक पंजिका. 3. भुगतान पंजिका. 4. प्रासंगिक व्यय सम्बन्धी पंजिका. 5. इलेवन–सी पंजिका. 6. वेतन बिल पंजिका. 7. स्टॉक बुक पंजिका.

		8. कोषागार पंजिका. 9. सामान्य भविष्य निधि पासबुक. 10. सामान्य भविष्य निधि लेजर. 11. क्रय सम्बन्धी पत्रावलियां. 12. कोषागार से पत्र व्यवहार पत्रावलियां. 13. बजट पत्रावली. 14. व्यय विवरण पंजिका. 15. महालेखाकार से व्यय मिलान पत्रावली. 16. महालेखाकार ऑडिट पत्रावली
7.	सामान्य	1. पत्र प्राप्ति पंजिका. 2. पत्र निर्गमन पंजिका. 3. समस्त लोक प्राधिकारियों से पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां. 4. प्रकाशन सम्बन्धी पत्रावली.

सूचना का अधिकार

मैनुअल संख्या : 7 [धारा 4(1)(ख)(vii)]

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है.

आयोग का मुख्य कार्य जन सामान्य तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पहुँच बनाना है. आयोग द्वारा समय–समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भाग लिया जाता है एवं इन विचार–विमर्श गोष्ठियों में जनता के प्रश्नों का सीधे उत्तर दिया जाता है.

क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित प्रश्नों का सामाधान भी किया जाता है.

मैनुअल संख्या : 8 [धारा 4(1)(ख)(viii)]

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और निकायों के,
जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है,
जिनका उसके भागरूप में सलाह देने के
प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि
क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों
की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के
कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण.

आयोग स्तर पर सलाह देने के प्रयोजन के लिये बोर्ड, परिषदों, समितियों का गठन नहीं किया गया है.

सूचना का
अधिकार

मैनुअल संख्या : 9 [धारा 4(1)(ख)(ix)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	दूरभाष नम्बर	ई–मेल
1.	श्री एन0एस0 नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाइल न.– 9412992127	nripnapalchyal@hotmail.com
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) 0135–2675984 (आवास) मोबाईल– 9412050091,	vnautiyal25@gmail.com
3	श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9412050831	aks.sic@gmail.com
4	श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9412050832	p_dabral@hotmail.com
5	श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9412054110	kotiyalrajendra@gmail.com
6	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) मोबाईल 9557402010	uicddn@gmail.com
7	श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव (11/09/2013 तक)	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com
8	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव (08/07/2013 तक)	मो. 9411110793	uicddn@gmail.com
9	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल, सचिव (20/11/13 से) उपसचिव (9/7/13 – 19/11/13)	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com
10	श्री एस.एल. सेमवाल, उपसचिव (21/11/13 – 18/12/13)	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com
11	श्री त्रेपन सिंह बिष्ट विधि अधिकारी (संविदा)	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com

12	श्री राजेश नैथानी निजी सचिव /जन सम्पर्क अधिकारी (संविदा)	0135–2675780 (कार्यालय) 0135–2675779 (कार्यालय) 9412052000	naithani.rajesh@gmail.com
13	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार (31/10/13 तक), सहायक लेखाधिकारी (01/11/13 से) (प्रतिनियुक्ति)	9410393020	robbynaithani@ rediffmail.com
14	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393021	
15	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393022	
16	श्री सौरभ कुमार सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)		
17	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410394421	
18	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	9917533343	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
19	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक	9410592369	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
20	कु0 नीतू रावत, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
21	कु0 नीतू भण्डारी, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
22	श्री चन्द्रा गुसांई, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
23	श्रीमती अनुराधा, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
24	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
25	श्रीमती रजनी भण्डारी, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
26	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर	9719805041	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
27	श्री नरेन्द्र गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
28	कु0 आशा घिल्डियाल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
29	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	
30	श्री मनोज सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	

31	श्री पंकज कुमार, रिकॉर्ड कीपर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
32	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
33	श्री हरि सिंह पटवाल, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
34	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
35	श्री मोहन सिंह नेगी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
36	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
37	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
38	श्री चंचल राम, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
39	श्री सुरेन्द्र पाल, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
40	श्री रवेन्द्र सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
41	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
42	श्री हरपाल सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
43	श्री सुन्दर सिंह धामी, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
44	श्री सुरेश कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
45	श्री प्रकाश सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
46	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
47	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
48	श्री धारा सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
49	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
50	श्री नन्दू सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से

मैनुअल संख्या : 10 [धारा 4(1)(ख)(X)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रत्येक आयुक्त, अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिसके अर्न्तग प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनिमयों में यथा उपबंधित हो.

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 16(5) के अनुसार संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्वाचन आयुक्त की है,

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है,

परन्तु यदि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा भाग जो संराशिकृत फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जायेगा.

परन्तु यह और कि जहॉ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायेगी.

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तो में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिये अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जायेगा.